न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 239/11 (वाद)
GCMS No. : 2011/00010

उनवान

1. अमरचन्द पिता दल्ला जी खटीक, आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर मृतक के बजाय

1/1 भेरूलाल पिता अमरचन्द खटीक उम्र वयस्क निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/2 देवनारायण पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/3 रतनी पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/4 नारू पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/5 रविना पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/6 बाबरी बेवा अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 23.02.2026

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सनवाड ठिकाने का गांव था तथा जागीर विजम्पशन एक्ट के पुर्व ठिकानेदार यानि तत्कालीन जागीरदार को पट्टे पर भुमी का आवंटन का अधिकार था इसी अधिकार के तहत वादी के पिता श्री दल्ला पिता भजा जी खटीक निवासी सनवाड को ग्राम सनवाड के साबिक न. 3350 में से सवा तीन बीघा ठिकाना सनवाड द्वारा सम्वत् 2008 में दी गई थी तथा वादी के पिता श्री दल्ला जी के पक्ष में ठिकाना सनवाड द्वारा पट्टा विलेख जारी कर के पर भौतिक आधिपत्य श्री दल्ला जी को सुपुर्द किया गया। ठिकाना सनवाड द्वारा वादी के पिता श्री दल्ला जी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:50:29 IST
Reason: SelfAttested

सवा तीन बीघा पट्टे के आधार पर आवंटन के पश्चात् एवं कब्जा सुपुर्द करने के बाद से कब्जा निरन्तर वादी के पिता का चला आ रहा है, वादी के पिता का लगभग 25 वर्ष हुए देहावसान हो गया व उसके देहावसान के बाद वादी का उक्त जमीन पर कब्जा चला आ रहा है। साबिक खसरा नं. 3350 के वर्तमान पेमाईश में न. 4457 कायम किये गये एवं जरीब छोटी हो जाने से उक्त 3 बीघा का क्षेत्रफल 4 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ। वादी के पिता को सम्वत् 2008 में उक्त जमीन नजराना राशि 51/– रु पर आवंटन (विक्रय) के पश्चात् से उक्त् जमीन पर पूर्व में वादी के पिता का व उनकी मौत होने के बाद वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा वादी के पिता ने ठिकाना सनवाड से उक्त जमीन मिलने के बाद जमीन को आबदान करने के लिये हजारों रूपये खर्च किया जमीन के चारों और बाड बनाई पाली डोली की तथा सम्वत् 2008 से वादी अपने पिता के समय से उक्त जमीन पर प्रतिवर्ष कास्त करता आ रहा है।

2. यह कि उक्त 4 बीघा 5 बीस्वा जमीन पर ठिकाना सनवाड के पट्टे के आधार पर वादी को उक्त जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हो गया है परन्तु अभी तक जमीन राजस्व रेकार्ड में बिलानाम चली आ रही है, वादी के पिता द्वारा पूर्व मे इस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये थे परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नही हुई एवं ठिकाना सनवाड के पट्टे के आधार पर ग्राम सनवाड के वर्तमान खसरा न. 4457 के 4 बीघा 5 बिस्वा भू–भाग पर जिसका पड़ौस पुर्व में एनीकट, पश्चिम में नाला, उत्तर में बाबरी खटीक की जमीन, दक्षिण में भेरुलाल जी की जमीन उक्त चारो पडोस के मध्य की जमीन 4 बीघा 5 बिस्वा जमीन पर वादी को मालीकाना हक प्राप्त है और वादी ठिकाना सनवाड के पट्टे के आधार पर उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भु–भाग को बिलानाम से निरस्त करा राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर खातेदारी हक से अंकन के अधिकारी है। वादी ने इस बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता धारा 80 के तहत 2 माह का पंजीकृत सुचना पत्र राज्य सरकार मार्फत जिला कलक्टर साहब उदयपुर को प्रेषित किया जिसकी अवधि समाप्त हो जाने के बावजुद उस पर कार्यवाही करते हुए उक्त भु–भाग वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से वादी के नाम पर अंकन नहीं किया इसलिये वादी द्वारा रा.टी.एक्ट 88 के तहत प्रतिवादी राज्य सरकार के विरुद्ध भुमिधारक तहसीलदार मावली के मार्फत उक्त वाद खातेदारी अधिकार की घोषणा बाबत प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

3. यह की वाद कारण दिनांक ठिकाना सनवाड के पट्टे सम्वत् 2008 एवं वादी द्वारा 80 जा.दी. के तहत दिये गये सुचना पत्र की अवधि समाप्ति दिनांक 6/10/2008 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का अपने मृतक पिता के समय से सम्वत् 2008 से यानि पिछले लगभग 55 वर्ष से निरन्तर कब्जा प्रतिवादी कि जानकारी में चला आ रहा है। राज्य सरकार के विरुद्ध प्रतिकुल कब्जे की अवधि 30 वर्ष है, वादी का कब्जा 30 वर्ष से ज्यादा अवधि का हो जाने से प्रतिवादी के विरुद्ध उक्त प्रतिकुल कब्जा परफेक्ट हो चुका है तथा वादी का प्रतिकुल कब्जा परफेक्ट हो जाने के कारण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर भी वादी उपरोक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भुभाग पर खातेदारी हक से घोषणा का अधिकारी है। विदित हो कि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 63(4) के अनुसार राज्य सरकार का 30 वर्ष से ज्यादा समय तक जमीन पर कब्जा नही रहता है तो उक्त धारा के तहत खातेदारी अधिकार स्वतः निरस्त होकर कब्जेधारक के पक्ष में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
4. अंत में निवेदन किया की ग्राम सनवाड के खसरा नम्बर 4457 के उक्त वाद पत्र में वर्णित पड़ौसो के मध्य के 4 बीघा 5 बिस्वा भू–भाग बिलानाम से निरस्त कर वादी के नाम खातेदारी हक से अंकित किया जावे। राजस्व अभिलेख में उक्त 4 बीघा 5 बिस्वा भू भाग बिलानाम से निरस्त कर वादी के नाम खातेदारी हक से अंकित किया जावे।
5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यवादी गवाह उपस्थित नही होने से साक्ष्यवादी का अवसर बंद किया गया। साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर दिया गया। साक्ष्यप्रतिवादी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी साक्ष्यप्रतिवादी गवाह उपस्थित नही होने से साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।
6. अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वादीगण के पास कोई पट्टा नही है तथा ना ही प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

7. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की बिलानाम आराजी नम्बर 4457 में खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई। जो वर्तमान में नगरपालिका फतहनगर सनवाड के नाम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त वादग्रस्त भूमि के पूर्व में आराजी नम्बर 3350 थे, जिसमें में से 3 बिघा भूमि नजराना 51 रूपये पर संवत 2008 में पट्टा ठिकाणा सनवाड द्वारा वादी के पिता के पक्ष में जारी किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिससे वादी पट्टा बता रहा है, उसको किसके द्वारा जारी किया गया है इस संबंध में कोई उल्लेख नही है तथा ना ही कोई हस्ताक्षर है। वादी द्वारा उक्त दस्तावेज की सत्यता हेतु कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया, जिससे उक्त दस्तावेज की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके। यदि उक्त भूमि का पट्टा वादी के पिता को दिया जाता तो अवश्य ही वादी के पिता अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही अपने जीवनकाल में करते अर्थात जब वादी के पिता द्वारा ही उक्त भूमि को अपने जीवनकाल में अपने नाम कराने की कार्यवाही नही करने से स्पष्ट जाहीर होता है कि वादी के पिता को ऐसा कोई पट्टा जारी नही किया।

वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र की कलम संख्या 7 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी उक्त भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने का अधिकारी बताया है। न्यायालय इस कथन से भी संतुष्ट नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 13:50:29 IST
Reason: SelfAttested

विधिक निर्देश हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। वर्तमान में भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज है।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिलानाम भूमि पर कब्जे के आधार पर घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है, इसके लिए पृथक आवंटन एवं नियमन के नियम बने हुए है। इसलिए वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर यदि कब्जा है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन करवाने के लिए स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान

1. अमरचन्द पिता दल्ला जी खटीक, आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर मृतक के बजाय

1/1 भेरूलाल पिता अमरचन्द खटीक उम्र वयस्क निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/2 देवनारायण पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/3 रतनी पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/4 नारू पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/5 रविना पिता अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

1/6 बाबरी बेवा अमरचन्द खटीक आयु वयस्क, निवासी– सनवाड, तह. मावली, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 239/11 (वाद) GCMS No. : 2011/00010

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

यह आज तारीख 23.02.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:29 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली